RESERVE BANK WORKERS' ORGANISATION, KANPUR

Dated: 18th Dec. 1995

Dear brother, Shri Moharirji,

NAMASKAR

I regret my absence in Calcutta CEC and request to excuse for the same. The reason behind it was that a couple of days prior to CEC meeting my daughter-in-law suffered serious head injury in an accident, resulting in her hospitalisation for about a week's time. With God's grace, now she is out of danger and improving day by day.

UNIT REPORTING

Kanpur unit is active as usual. On joining of the new Chief General Manager, Shri D.P. Sarda, our delegation had a courtesy call on him. Dialogues were held in a very cordial atmosphere.

Shri K.K. Mudgil, the then PCGM visited Kanpur office and a delegation of ours met with him also and pointed out the All-India as well as the local problems to him.

Monthly subscription has been collected from the members up-to-date and efforts are being made to collect the All-India levy.

Condolences: The last 3 months have been unfortunate for our organisation as 3 of our active members left us for their heavenly abode. S/Shri Umesh Mehta and Sunil Verma died in a road accident and Shri R.P. Nishad succumbed to a serious heart attack.

Justice Zindabad: The current month i.e. December 1995 awarded a glorious victory to our Organisation on the legal front when Central Govt. Industrial Tribunal, Kanpur declared the Bank's action with regard to the dismissal of our member, Shri Rameshwar Mali, Clerk Gr.I as illegal and directed the Bank to pay the back wages and Rs.100/- as the cost of the plaint. To give a glimpse of the case, the Bank had terminated the services of the workman on the plea that the employee had obtained service in RBI as a Scheduled Caste candidate by submitting a false certificate to this effect, and on the date of termination itself, reappointed him on compassionate ground, thus inflicting on him heavy monetary and seniority loss. We raised the Industrial Dispute. The matter was referred to the Tribunal where we argued that the workman never submitted any fradulant document and also did not hide his caste-status overtly or covertly. Bank had sufficient time of 13-14 years to verify it but it did not try. Hon'ble Justice accepted our arguments and awarded in our favour.

Rest in the next despatch.

With kind regards,

Brotherly yours

(SURENDRA NATH SHUKLA)

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

{एन.ओ.बी.डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध}

परिपत्र संख्या 16/95 दिनांक 16 नवम्बर 1995

प्रिय भाइयों एवं बहनों,

आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा
रिज़र्व बैंक प्रबंधन पर बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज

आप सभी को स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मियों के वेतन में मान्यताप्राप्त एसोसिएशन के सशक्त विरोध के बावजूद आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने माननीय दिघे ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने तार्किक बल पर सी.सी.ए. का मद जुड़वाने में सफलता प्राप्त की। हाल ही में सम्पन्न वेतन समझौते के पूर्व भी औद्योगिक विवाद माननीय खत्री ट्रिब्यूनल के सम्मुख गया। ट्रिब्यूनल ने अपने ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा रिज़र्व बैंक प्रबंधन के विरुद्ध टिप्पणी की कि रिज़र्व बैंक कर्मियों की वेतनवृद्धि एवं सेवा-शर्तों में सुधार संबंधी माँगपत्र पर रिज़र्व बैंक प्रबंधन द्वारा आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को वार्ता हेतु आमंत्रित न करना अन्यायपूर्ण है। एक आदर्श सेवायोजक तथा प्रमुख नीति निर्धारक संस्था होने के नाते रिज़र्व बैंक प्रबंधन ने खत्री ट्रिब्यूनल के निर्णय का सम्मान करने के बजाय एक छटे हुए मुकदमेबाज की तरह ट्रिब्यूनल आदेश के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में अपील करना उचित समझा।

... की उक्त अपील पर बम्बई उच्च न्यायालय ने भी अपने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा रिज़र्व बैंक प्रबंधन को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि वह आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा रिज़र्व बैंक कर्मियों की वेतन बढ़ोत्तरी तथा सेवा-शर्तों में सुधार संबंधी माँगपत्र पर विचार करे। इस निर्णय से सम्पूर्ण देश के रिजर्व बैंक कर्मियों में एक आशा की किरण फैल गई कि सी.सी.ए. की तरह ही आर्गनाइजेशन "कुछ और" दिलाने में सफल होगा।

मित्रों, हमें खेद है कि अपनी "कूप मंडूपी" प्रवृत्ति के कारण रिज़र्व बैंक प्रबंधन ने आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत माँगपत्र पर बिना विचार किए तथा बम्बई उच्च न्यायालय की भावनाओं का सम्मान किए बिना ही एसोसिएशन से एक "अधकचरा" समझौता कर लिया जिसके द्वारा वृहद कंप्यूटरीकरण का मार्ग तो प्रशस्त है परन्तु नई भर्ती तथा वर्तमान कर्मियों के पदोन्नति के पथ का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण रिज़र्व बैंक के पुराने कर्मचारी कुंठित हैं तथा कर्मचारियों में रोष है।

रिज़र्व बैंक प्रबंधन तथा एसोसिएशन के मध्य समझौता सम्पन्न होने के पूर्व ही आर्गनाइजेशन ने एक नोटिस द्वारा आगाह किया था कि हमारे माँगपत्र पर बिना विचार किए ही वेतन समझौते पर एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर करना बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना होगा परन्तु प्रबंधन ने दम्भ के साथ हमारी नोटिस को नज़रअन्दाज़ किया और वेतन समझौते पर एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर कर दिया। मज़बूर होकर आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अवमानना सम्बंधी मुकदमा ठोंकना पड़ा। माननीय न्यायालय द्वारा सम्भवतः प्रबंधन को नोटिस भेजी जा चुकी है। आगे की जानकारी हम आपको समय-समय पर देते रहेंगे। आप अपने सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए आर्गनाइजेशन के साथ चट्टान की भाँति खड़े रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

पेंशन विकल्प खुला है

आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की माँग पर बैंक द्वारा पेंशन विकल्प पुनः माँगा गया है सभी साथियों से अपील है कि वे अपने विवेक का स्वतः प्रयोग करते हुए पेंशन विकल्प के प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेकर उचित कदम उठावें।

शुभ कामनाओं सहित,

आपका अपना ही,

{सुरेन्द्र नाथ शुक्ल}
महामंत्री

आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन – जिन्दाबाद
एन.ओ.बी.डब्लू. – जिन्दाबाद
भारतीय मजदूर संघ – जिन्दाबाद

{ देश के हित में करेंगे काम – काम के लेंगे पूरे दाम }

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइज़ेशन, कानपुर

परिपत्र संख्या 15/95 दिनांक : 3 नवंबर 1995

प्रिय साथियों,

प्रधान मुख्य महाप्रबंधक का कानपुर आगमन

दिनांक 31 अक्तूबर तथा 1 नवंबर 1995 को बैंक के केंद्रीय कार्यालय से प्रधान मुख्य महाप्रबंधक श्री के.के. मुदगिल का द्विदिवसीय कानपुर दौरा हुआ जिनके सम्मुख आर्गनाइज़ेशन के शिष्टमंडल ने जिन मुद्दों को उठाया तथा ज्ञापन दिया उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

1. श्रमी ट्रिब्युनल तथा बंबई उच्च न्यायालय के निर्णयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइज़ेशन को मान्यता मिले।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में समयबद्ध पदोन्नति नीति लागू करके यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने सेवाकाल में 2 पदोन्नतियाँ अवश्य मिलें।
3. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदनाम में सम्मानजनक परिवर्तन हो।
4. लंबे अवकाश/ट्रेनिंग पर जाने वाले सहायक प्रबंधक के स्थान पर जनरल साइड के पैनल से पदोन्नति देकर नियुक्ति हो तथा पैनल समाप्त होने पर कैश विभाग की भांति जनरल साइड में भी वरिष्ठता से [illegible] आधार पर पदोन्नति देकर नियुक्ति की जाए।
5. लंबे अवकाश/ट्रेनिंग में जाने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारी के स्थान को रिक्त न रखकर तुरंत अन्य कर्मचारी की उस स्थान पर पोस्टिंग की जाए ताकि बैंक कार्य में बाधा न पड़े साथ ही अवकाश से वापस आने पर उस कर्मचारी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
6. उत्तर प्रदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालय खोले जाएं अथवा क्षेत्रीय आधार पर बड़ी चेस्टों में नियंत्रण कार्यालय खोलकर रिज़र्व बैंक के अधिकारी/ कर्मचारी नियुक्त किए जाएं।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी जिनकी सेवाएं 5 वर्ष हो चुकी हों, उन्हें बिना परीक्षा पास किए स्थायी किया जाए।
8. यातायात भत्ता-आयकर से मुक्त:

   प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड ने अपने नोटीफिकेशन दिनांक 7 जुलाई 1995 द्वारा यातायात भत्ता (Conveyance Al) को आयकर से मुक्त कर दिया है और यह छूट जुलाई 1995 से लागू की गई है, अतः स्रोत पर आयकर काटते समय यातायात भत्ता को कर मुक्त करने की व्यवस्था की जाए।

श्री मुदगिल ने हमारे मुद्दों को ध्यान से सुना। हमें आशा है कि बैंक का रुख सकारात्मक होगा।

शुभकामनाओं सहित।

आपका अपना ही

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ला)
महामंत्री

कर्मचारी एकता
आ. इ. रि. बैं. व. आ.
एन. ओ. बी. डब्ल्यू.
जिन्दाबाद

ALL INDIA RESERVE BANK WORKERS' ORGANISATION

CENTRAL OFFICE - NAGPUR

(AFFILIATED TO BHARATIYA MAZDOOR SANGH & NATIONAL ORGANISATION OF BANK WORKERS)

President SHRI D. S. PUTTURAYA
Gen. Secy. SHRI A. N. MOHARIR
उप महामंत्री - सुरेन्द्र नाथ शुक्ल

37/190, माल रोड,
कानपुर-208001

Correspondence Address
A. N. MOHARIR
122, Jaiprakash Nagar
Khamla, NAGPUR 440 025

Ref. No.__________

Date 25 सितंबर 1995

माननीय श्री अटल जी,

" सादर चरण स्पर्श।

पत्रांक D.O. No.

मानननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा आपको सम्बोधित / 12(2)/3/95- IR दिनांक 19.8.95 के संदर्भ में विनम्रतापूर्वक सूचित करना है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा आपको भ्रामक सूचना दी गई है। संदर्भित पत्र के अन्तिम वाक्य में लिखा है, "Reserve Bank of India would consider the Charter of Demands in accordance with the judgement." जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 23.6.95 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही आल इंडिया रिज़र्व बैंक इम्प्लाइज़ एसोसिएशन के साथ वेतन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और हमारे माँग-पत्र पर न तो आज तक हमें वार्ता हेतु बुलाया है और न ही कोई लिखित टिप्पणी ही माँगी गई है। इस प्रकार लिखित अथवा मौखिक टिप्पणी हमारे संगठन से बिना माँगे तथा बिना वार्ता हेतु आमंत्रण दिए हमारे माँग-पत्र पर विचार करना बैंक प्रबंधन के लिए ~~असमकसअसम~~ असम्भव है। अतः रिज़र्व बैंक ने हमारे माँग-पत्र पर विचार न करके बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना की है। मार्क्सवादी प्रभुत्व वाली यूनियन, इम्प्लाइज़ एसोसिएशन से समझौता हो जाने तथा नवीन वेतनमान लागू हो जाने के उपरान्त भी माननीय वित्त मंत्री द्वारा आपको यह सूचित करना कि रिज़र्व बैंक हमारे माँग-पत्र पर विचार करेगा, भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला ही लगता है।

------2

अतः आपसे निवेदन है कि इस गंभीर चूक के लिए आप वित्त मंत्री जी से सम्पर्क करके स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें तथा उनसे आग्रह करें कि वे अपने पत्र के आधार पर रिज़र्व बैंक प्रबंधन को यह निर्देश दें कि वह आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता प्रदान करके माँग-पत्र पर वार्ता हेतु अविलम्ब आमंत्रित करे ताकि हम 23.6.95 को हस्ताक्षरित समझौते में समुचित सुधार करा सकें।

सम्मान सहित,

आपका अपना ही,

[signature]

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
उप महामंत्री

सेवा में,

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी,
नेता प्रतिपक्ष, लोक सभा,
नई दिल्ली

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
(एन.ओ.बी.डब्लू. एवम् बी.एम.एस. से सम्बद्ध)

परिपत्र संख्या 13/95 दिनांक - 22 सितम्बर 1995

प्रिय भाइयों एवम् बहनों,

- रिज़र्व बैंक गेट पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी "धरना"
- आज दोपहर भोजनावकाश में सभा

एन.ओ.बी.डब्लू. की केन्द्रीय कार्य समिति के पदाधिकारियों की बैठक नागपुर में गत 10 एवम् 11 सितम्बर 1995 को सम्पन्न हुई जिसमें 22 अगस्त 1995 को "माँग दिवस" सफलतापूर्वक मनाने पर बैंक कर्मियों को बधाई दी गई और यह निर्णय भी लिया गया कि 22 सितम्बर 1995 को विरोध दिवस मनाया जाय । "एक दिवसीय धरना" निम्न माँगों की ओर ध्यानाकर्षित करने हेतु दिया जाय :-

1. एन.ओ.बी.डब्लू. के द्विपक्षीय समझौता वार्ता के अधिकार को बहाल किया जाय ।
2. कर्मचारियों को मँहगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति 100 प्रतिशत की दर से हो ।
3. सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाय ।
4. द्वितीय द्विपक्षीय समझौता 1970 के बाद की क्रय शक्ति के अनुसार वेतन को बहाली हो ।
5. भर्ती पर लगी रोक हटाई जाय तथा अन्धाधुन्ध कम्प्यूटरीकरण को रोका जाय ।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए एवार्ड के अनुसार तथा छठे समझौते के समस्त लाभों को तत्काल लागू किया जाय ।
7. आल इण्डिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार मान्यता प्रदान की जाय ।

एन.ओ.बी.डब्लू. के उक्त निर्देशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के आव्हान पर आज भारतीय रिज़र्व बैंक गेट पर एक दिवसीय "धरना" का कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है । साथ ही साथ भोजनावकाश में एक सभा होगी जिसमें बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों की ज्वलन्त समस्याओं के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक प्रबन्धन द्वारा देश के कानून तथा न्यायालय के निर्णयों की धज्जियाँ उड़ाने सम्बन्धी जानकारी भी दी जायेगी । आप सभी से विनम्र अपील है कि "धरना" कार्यक्रम को सफल बनाने के साथ-साथ भोजनावकाश में होने वाली सभा को भी सफल बनायें ।

संग्रामी अभिनन्दन सहित !

आपका सहयोगाकांक्षी,

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
महामंत्री

कर्मचारी एकता जिन्दाबाद,
एन.ओ.बी.डब्लू. जिन्दाबाद
बी.एम.एस. जिन्दाबाद

नोट - दिनांक 26 एवम् 27 सितम्बर 1995 को प्रस्तावित हड़ताल में एन.ओ.बी.डब्लू. तथा आल इण्डिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन शामिल नहीं हैं ।

सत्यमेव जयते

D.O.No.12/2/3/95-IR

वित्त मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI 110001

August 19, 1995.

22 AUG 1995

Dear Shri Vajpayee ji,

Kindly refer to your letter dated 31st January, 1995 regarding representation from All India Reserve Bank Workers' Organisation (AIRBWO), Kanpur.

I have had the matter looked into in consultation with Reserve Bank of India. The bank has reported that in 1989, AIRBWO had served a notice of strike demanding invitation for negotiations on its Charter of Demands. When their demand was not acceded to, they moved the matter before Central Government Industrial Tribunal, Bombay. The Central Government Industrial Tribunal, Bombay delivered its Award in 1991 in favour of AIRBWO. Reserve Bank of India assailed the award in a writ petition in the Bombay High Court. The High Court has directed the bank to consider the Charter of Demands of unrecognised unions like AIRBWO. The Court further stated that the manner in which the said demands or Charter may be considered and whether the management would invite the majority and minority unions for actual personal discussion would depend upon the nature of the demands and other relevant circumstances which will have to be left to the discretion of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India would consider the Charter of Demands in accordance with the judgement.

With kind regards,

Yours sincerely,

(MANMOHAN SINGH)

Shri Atal Behari Vajpayee,
Leader of Opposition,
44, Parliament House,
New Delhi.

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर ।
(एन. ओ. बी. डब्ल्यू. एवं भारतीय मज़दूर संघ से सम्बद्ध)

परिपत्र संख्या 11/95 दिनांक : 30 अगस्त 1995

प्रिय साथियों,

स्टाफ अधिकारी वर्ग "क" (मेरिट) परीक्षा वर्ष 1994-95 के परीक्षाफल का अन्यायपूर्ण होना

बैंक प्रबंधन एवं उनकी एसोसिएशन के मध्य हस्ताक्षरित वेतन समझौता एवं "गुप्त" समझौते की स्याही अभी सूखी भी न थी कि इसी बीच स्टाफ अधिकारी वर्ग "क" (मेरिट) परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हो गया जिसने पूरे देश के रिज़र्व बैंक कर्मियों को स्तब्ध कर दिया। इस विषय पर आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को जो पत्र लिखा है उसे हम आपकी सूचनार्थ मूलरूप में नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं ।

संग्रामी बधाईयों सहित,

कर्मचारी एकता - जिन्दाबाद ।
आ. ई. रि. बैं. व. आ. - जिन्दाबाद ।
एन. ओ. बी. डब्ल्यू. - जिन्दाबाद ।
बी. एम. एस. - जिन्दाबाद

आपका अपना ही,
(हस्ताक्षर)
(सुरेन्द्र नाथ शुक्ला)
महामंत्री

"हम आपका ध्यान उक्त विषयक विसंगति की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं एवं शीघ्रातिशीघ्र न्यायोचित समाधान की माँग करते हैं ।

वर्ष 1994-95 की परीक्षा में कार्यालय परिपत्र के अनुसार 84 पदों हेतु परीक्षा ली गई थी किन्तु अखिल भारतीय स्तर पर केवल 23 पदों पर भर्ती की गई जो कि नितान्त अन्याय पूर्ण ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ एवं धोखाधड़ी है ।

अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को प्राप्तांक की अंक तालिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं । रिज़र्व बैंक में भी स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए" " QUALIFYING" परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को प्राप्तांक उपलब्ध कराये जाते हैं जबकि मेरिट परीक्षा में प्राप्तांक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं । उन्हें प्राप्तांकों की तालिका उपलब्ध करायी जाये ताकि वह दी गई परीक्षा के विषय में अपना सही आँकलन कर सके और आगे सुधार कर सकें ।

ऐसी परिस्थितियों में बैंक द्वारा भारी धनराशि खर्च करके भारतीय स्तर पर पदोन्नति के लिये परीक्षा का आयोजन करना एवं उसमें स्टाफ द्वारा कठिन मेहनत से परीक्षा में बैठना तथा पूर्ण पदों के न भरे जाने से कर्मचारियों में घोर निराशा, हताशा एवं कुंठा व्यापत होती जा रही है जबकि उनके पदोन्नति के रास्ते वर्तमान परिस्थितियों में लगभग बन्द से ही हैं ।

ऐसी परिस्थितियों में हम मांग करते हैं कि :-

1. परीक्षा का स्तर ऐसा हो कि जिसके कारण जितने पदों (84) हेतु परीक्षा ली गई, न्यूनतम उतनी संख्या में पदों की भर्ती हो ।
2. मेरिट परीक्षा में प्राप्तांकों की अंक तालिकाये "MARK LISTS" उपलब्ध करायी जाये तथा वर्ष 1994-95 की परीक्षा तथा उसके नतीजों का पुनर्विचार किया जाये तथा परीक्षार्थी के अंकों को प्रकाशित रखते हुये पूर्ण 84 पदों की भर्ती करायी जाये ।
3. स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए" बाहरी भर्ती सीधी परीक्षा, मेरिट परीक्षा तथा अर्हता परीक्षा "QUALIFYING EXAM" के सही अनुपात का कठोरता से ध्यान रखा जायें ताकि सीधी भर्ती अपने निर्धारित अनुपात से ज्यादा न हों ।

भवदीय,

ह० ए. एन. मोहरीर
महामंत्री

---

31 अगस्त 1995 की हड़ताल में आर्गनाइजेशन भागीदार नहीं है ।

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
(एन. ओ. बी. डब्लू. एवं भारतीय मज़दूर संघ से सम्बद्ध)

परिपत्र संख्या 10/95 दिनांक : 29 अगस्त 1995

प्रिय भाइयों एवं बहनों,

समाशोधन गृह कार्य का पंजाब नेशनल
बैंक को स्थानान्तरण

रिज़र्व बैंक प्रबन्धन एवं आल इण्डिया रिज़र्व बैंक इम्प्लाइज़ एसोसिएशन के मध्य हस्ताक्षरित वेतन समझौता तथा एक अन्य "गुप्त" समझौते की स्याही अभी सूख भी नहीं पाई थी और बढ़े हुये वेतनमान न तो मिल ही पाये थे और न ही एरियर का भुगतान हो पाया था कि बैंक प्रबंधन ने एक बहुत बड़ा "धमाका" करके अपने जन्म के समय से ही किये जा रहे क्लियरिंग हाउस के परम्परावादी कार्य को अपने पास से हटाकर व्यापारिक बैंकों को सौंपने का निर्णय लिया और इस कार्य की शुरुआत करने हेतु कानपुर समेत कुछ केन्द्रों को चुना गया । बैंक प्रबन्धन का यह कार्य निन्दनीय तथा संस्थान के हित में प्रतिगामी असर डालने वाला तथा रिज़र्व बैंक कर्मचारियों के हितों पर भयंकर कुठाराघात वाला है । हम इस कृत्य की घोर निन्दा करते है तथा आपसे अनुरोध करते है कि अपने हितों की रक्षा करने हेतु किसी भी संघर्ष हेतु तैयार रहें । इसी विषय पर आल इण्डिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को जो पत्र लिखा गया है उसे हम आपकी सूचनार्थ मूल रूप में नीचे प्रस्तुत कर रहे है ।

संग्रामी बधाइयों सहित ।

कर्मचारी एकता - जिन्दाबाद ।
आ. इ. रि. बै. व. आ. - जिन्दाबाद ।
एन. ओ. बी. डब्लू. - जिन्दाबाद ।
बी. एम. एस. - जिन्दाबाद ।

आपका अपना साथी,
(हस्ताक्षर)
(सुरेन्द्र नाथ शुक्ला)
महामंत्री

"Shiftingof Clearinghouse to the Commercial Bank"

We understand that the Reserve Bank of India has decided to shift Clearing House to CommercialBanks at Ahmedabad, Bangalore, Jaipur, Hyderabad, Kanpur and Nagpur. It is our considered opinion that the bank's move is unwarranted and aiming at transferring of its traditional functions to C Commercial Banks thereby creating surplus staff in all categories in Reserve Bank of India.

We firmly oppose this sinister move of the bank which is systematically cutting limbs of RBI and attempt to reduce posts in all cadres.

There is a large scale concern, discontent all over country against this ill conceived moves of RBI. We, therefore, demand of ReserveBank of India to put a stopthis anti-labour attitude forthwith and restore statusquo.

Please acknowledge receipt.

Yours sincerely,

Sd/-A.N.Moharir
General Secretary

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर ।

परिपत्र संख्या 9 /95 दिनांक : 3 अगस्त 1995

प्रिय साथियों,

रिज़र्व बैंक में वेतन समझौता -
समझौते के पीछे क्या है ?

जैसा कि आपकी जानकारी में है कि रिज़र्व बैंक प्रबन्धन एवं एसोसियेशन ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार सम्बन्धी एक प्राइवेट समझौते पर हस्ताक्षर 23 जून 1995 को किये हैं । इस समझौते की व्यापक समीक्षा नागपुर में दिनांक 30 जुलाई 1995 को सम्पन्न आल इण्डिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक में की गयी और उन बिन्दुओं की भी विवेचना की गयी है जिनके कारण समझौता हुआ है ।

नागपुर बैठक की विस्तृत जानकारी देने तथा समझौते के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करने हेतु आज दोपहर भोजनावकाश 1.15 बजे बैंक के पूर्वी द्वार पर सभा का आयोजन किया गया है जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है ।

कर्मचारी एकता - जिन्दाबाद ।
एन.ओ.बी.डब्ल्यू. - जिन्दाबाद ।
भारतीय मजदूर संघ - जिन्दाबाद

आपका सहयोगाकांक्षी,

(अशोक कुमार [illegible])
मंत्री

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया इम्प्लाइज एसोसियेशन, कानपुर
रिज़र्व बैंक वर्क्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
रिज़र्व बैंक "डी" क्लास इम्प्लाइज यूनियन, कानपुर
आल इण्डिया रिज़र्व बैंक आफिसर्स एसोसियेशन (कानपुर इकाई)
रिज़र्व बैंक एस0सी0/एस0टी0 इम्प्लाइज वेलफेयर फेडरेशन, कानपुर

दिनांक: 6 जुलाई 1995

प्रिय साथियों,

रिज़र्व बैंक कर्मचारियों पर लाठी चार्ज – आज प्रातः विशाल प्रदर्शन

जैसा कि आपको ज्ञात है कि गत 23/24 जून 1995 को विद्युत समस्या से त्रस्त रिज़र्व बैंक कालौनी किदवई नगर निवासीजब दिनांक 25 जून को प्रातः लगभग 10 बजे नौबस्ता विद्युत सब स्टेशन शिकायत करने गए तो विद्युत समस्या के निदान के स्थान पर पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी। थानाध्यक्ष नौबस्ता ने पुलिस अधीक्षक द्वितीय के नेतृत्त्व में निहत्थे कालौनी निवासियों पर बर्बर लाठी चार्ज करके अनगिनत साथियों को लहू-लुहान किया, फलस्वरूप तमाम साथी अपने हाथ पैर तुड़ा बैठे। यहीं नहीं हमारे 4 निर्दोष साथियों पर अनगिनत झूठे मुकद्दमें लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। 25 तथा 26 जून को हम सभी लोगों ने आपके सहयोग से जमानते आदि कराकर अपने साथियों को जेल से मुक्त कराया तथा दिनांक 27 जून को रिज़र्व बैंक गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करके संघर्ष चलान्ने का संकल्प लिया। थानाध्यक्ष नौबस्ता तथा पुलिस अधीक्षक के निलम्बन एवम् झूठे मुकद्दमें वापस लेने की माँग पर बल देने हेतु 2 दिन क्लियरिंग ठप्प कराकर तथा दिनांक 29 जून 1995 को 2 घन्टे की कलम बन्द हड़ताल करके आपने प्रशासन को यह दिखा दिया कि अपनी न्यायोचित माँगों को मनवाने हेतु इस संघर्ष को आप किसी भी सीमा तक ले जा सकते हैं। संघर्ष से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिनांक 4 जुलाई को बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक से भी भेंट की तथा झूठे मुकद्दमें हटवाने हेतु अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया।

मित्रों, जहाँ एक ओर हम सीधे संघर्ष में कूदे हैं वहीं दूसरी ओर समझौतों तथा वार्ताओं का द्वार भी खोले हुये हैं। दुर्भाग्य से जिला प्रशासन के जिस स्तर पर हमारी वार्ता प्रारम्भ होती है अथवा प्रारम्भ होने वाली होती है उसी अधिकारी के कानपुर से बाहर स्थानान्तरण की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात होती है। अतः हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है। हमने आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक प''ाने में सफलता पाई है। और हम आशा करते हैं कि संघर्ष निश्चित ही निर्णायक स्तर पर पहुँचेगा। हम आप सभी द्वारा प्रदत्त सहयोग के आभारी है और अपेक्षा करते है कि अनुशासित रहकर आप पूर्ण सहयोग देते रहेगें। आन्दोलन की इसी कड़ी में आज कार्यालय प्रारम्भ होने के पूर्व रिज़र्व बैंक के पूर्वी द्वार पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

हम है आपके साथी-

(आर0बी0एस0 चौहान)
सचिव
रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया इम्प0एसो0कानपुर

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ला)
महामन्त्री
रिज़र्व बैंक वर्क्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

(पूरन दास)
चीफ सेक्रेटरी
रिज़र्व बैंक "डी" क्लास इम्प0यूनियन, कानपुर

(ए0जे0 खान)
सचिव
रिज़र्व बैंक आफिसर्स एसोसियेशन, कानपुर

(गौरी शंकर आज़ाद)
मंत्री
रिज़र्व बैंक एस0सी0/एस0टी0 इम्प0वेलफेयर फेडरेशन, कानपुर।

दिनांक: 30 जून, 1995

साथियों,

पुलिस द्वारा हमारे कालोनीकेप्रतिनिधियों एवं निवासियों पर अकारण किए गए बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज के विरोध में आपके द्वारा प्रदर्शित दुर्दम्य संघर्ष की भावना की प्रशंसा करते हुए हम कल की दो घण्टे की कलमबन्द हड़ताल की पूर्ण सफलता पर आपको धन्यवाद देते है जिसके कारण कल की प्रथम क्लियरिंग नहीं हो सकी । हम आपकी जुझारू भावनाओं का सम्मान करते है । विगत दो दिनों में बैंक और प्रशासन के स्तर पर पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने की दशा में कुछ प्रगति हुई है । आपकी एकजुटता ने बैंक और प्रशासन को Remedial कदम उठाने की ओर अग्रसर किया है । हमें विश्वास है कि वांछित परिणाम शीघ्र निकलेंगे । साथ ही हम अपने सभी जिम्मेदार साथियों से अपील करते हैं कि बैंक में कार्यरत संयुक्त सभी संगठनों की संयुक्त कमान द्वारा निर्धारित संघर्ष की रूपरेखा को यथोचित सम्मान दें । हमारे सभी संगठन आपकी संघर्ष भावना का आदर करते है और अपने को सशक्त महसूस करते हैं । हम अपने सभी साथियों से पुन: अपील करते हैं कि दिनांक 27.6.95 को हुई असाधारण विरोध रैली में आम सहमति के अनुरूप अपने संघर्ष को अनुशासित रखें सफलता निश्चित हैं ।

हम है आपके साथी,

(आर. बी. एस. चौहान)
सचिव
रिज़र्व बैंक इम्प्लाईज एसोसियेशन
कानपुर

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
महामंत्री
रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन
कानपुर

(पूरन दास)
चीफ सेक्रेटरी
रिज़र्व बैंक "डी" क्लास इम्प्लाईज
यूनियन कानपुर

(ए. जे. खान)
संयुक्त सचिव
आल इण्डिया रिज़र्व बैंक आफीशर्स
एसोसियेशन कानपुर इकाई

(गौरी शंकर आजाद)
सचिव
रिज़र्व बैंक एस. सी. /एस. टी. इम्प्लाईज वेलफेयर
फेडरेशन कानपुर

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
{ एन. ओ. बी. डब्ल्यू. एवं भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध }

परिपत्र संख्या : 8/95 दिनांक: 14 जून, 1995

संगठनात्मक चुनाव

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर के वर्ष 1995-96 हेतु निम्न पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए :-

1- अध्यक्ष - श्री राम किशोर सविता
2- उपाध्यक्ष - श्री कैलाश नारायण बाजपेयी
3- महामंत्री - श्री सुरेन्द्र नाथ शुक्ल
4- मंत्री - श्री अशोक कुमार {चतुर्थ}
5- संगठनमंत्री - श्री रामचन्द्र साधवानी
6- कोषाध्यक्ष - श्री बाबू लाल {प्रथम}
7- कार्यकारिणी सदस्य - 1. श्री उमाशंकर अवस्थी {I I}
2. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव
3. श्री संतोष कुमार जायसवाल
4. श्री राधामाधव द्विवेदी
5. श्री राम किशोर

{ कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव }
चुनाव अधिकारी

{ जागेश्वर प्रसाद }
चुनाव अधिकारी

Reserve Bank Workers Organisation, Kanpur
(Affiliated to A.I.R.B.W.O., NOBW & BMS)

Cir.No.7/95 Dated 5th June 1995

Dear brothers & sisters,

We reproduce below the letter dated 3rd May 1995 written by AIRBWO to the Bank, which is self explanatory.

With greetings,

Brotherly Yours,

AIRBWO)
NOBW) ZINDABAD
BMS)

(S.N. SHUKLA)
GENERAL SECRETARY

All India Reserve Bank Workers Organisation,
Central Office, Nagpur

3 MAY 1995

"Dr. C. Rangarajan
Governor
Reserve Bank of India,
Central Office,
BOMBAY.

Sir,

Negotiation on Charter of Demands and our participation therein -

We understand from the circulars issued by All India Reserve Bank Employees' Association (AIRBEA) and the Fax message dt.5th April'95 of the Bank that negotiations regarding wage revision etc. have come to stage of stalemate. We are very much representing a Charter of Demands from a big chunk of Reserve Bank Employees and we are working on a totally different principles, the grounds on which our charter is based upon is different from AIRBEA. To elaborate, we detail below the demands of AIRBEA and that of All India Reserve Bank Workers' Organisation (AIRBWO).

Item	AIRBEA's Demand	AIRBWO's Demand
1. Basic Pay	The upward revision be fixed at Index point 1048 on the following principles : a) Erosion upto index point 600 be compensated in full. b) Suitable increase in percentage thereon. c) Remaining 448 points to be merged with 100% neutralisation. (No scale of Pay is worked out)	A pay scale has been worked out on the basis of 127% merger of D.A. at 1148 of Index points + 25% notional increase of the same thereon.
2. C.C.A.	15% of pay, without any ceiling.	15% with a minimum of Rs.350/- and 100% of which shall rank for calculation of O.T. Allowances, Bonus, P.F. and Gratuity.
3. Conveyance Allowance	Rs.300/- per month.	Reimbursement at the rate of Rs.400/- per month.

......p.t.o.

4. Bonus	Should be paid as ex-gratia payment @ 15% of annual aggregate of pay, D.A. and C.C.A.	Should be paid to all employees at the rate of two months' average pay and allowances as deferred wage.
5. Leave Facilities	a) Overall accumulation limit of O.L. be raised to 300 days.	a) Facility of availing half a day's Casual leave should be introduced.
	b) The overall accumulation limit of Sick leave to be on a continuing basis.	b) O.L. should be calculated at 9 days per quarter (one tenth part of duty) and to be credited to leave account at the end of each quarter. There should be no limit for accumulation of O.L.
		c) There should be no maximum limit for accumulation of Sick leave and it should be calculated at 5 days per quarter.
6. Superannuation Benefits	i) Gratuity: Entitlement should be one month's pay + D.A. for every completed year of service without any ceiling.	i) Gratuity: Should be paid at the rate of one month's pay + D.A. + CCA last drawn for every completed year of service without any limit.
	ii) Provident Fund: Contribution to P.F. from both sides be on Pay + D.A.	ii) Provident Fund: Contribution by both the sides should be at the rate of 10% of Pay + D.A. + CCA.
		iii) Pension: As third retiral benefit.

From the above it is crystal clear that we want to advance and contribute different arguments, perceptions and therefore, the Reserve Bank of India must hold meaningful negotiations with AIRBWO which has been made mandatory on the Bank by the Bombay High Court Judgement dated 16th September, 1994.

We would like to make it clear to the R.B.I. management that non-response to our demand of consideration of the Charter of Demands within a fortnight from the date of receipt of this letter will be construed as patent non-compliance of High Court directives and shall be accordingly dealt with by resorting to contempt of Court proceedings against the Reserve Bank management and for the cost and consequences of which shall be borne by R.B.I. management.

Please take note.

Yours Sincerely,

Sd/-

(A.N. Moharir)
General Secretary

स्वदेश !

जय श्रमिक !

रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

(सम्बद्ध-एन. ओ. बी. डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ)

6, THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW, FRIDAY, MAY 26, 1995

THE TIMES OF INDIA
A Thought for Today

AIRBWO seeks FM's intervention

The Times of India News Service
KANPUR, May 25:

THE All-India Reserve Bank Workers Organisation (AIRBWO) affiliated to the Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), has sought the intervention of the finance minister, Manmohan Singh. In a memorandum it urged him to direct the RBI management to invite the organisation for discussion on its charter of demands immediately. Giving details, deputy-general secretary of the AIRBWO, SN Shukla said the RBI management had not yet accorded recognition to the organisation though it had been functioning in the bank since 1965.

The organisation raised its voice over the issue some time back. The Central government however, referred the matter to the industrial tribunal, presided over by a former judge of the Bombay High Court, Justice Khatri.

Giving its ruling in favour of the organisation, the Khatri tribunal directed the RBI to hold negotiations and settle the demands raised by the AIRBWO. But, the management challenged it and filed appeal in the Bombay High Court.

The high court passed the following order on September 16, 1994, "the action of the RBI management in not taking into consideration the charter of demands by the organisation is not justified and the RBI is directed to take into consideration the charter of demands as well".

It is in view of this court directive that the finance minister has been approached, Mr Shukla said.

Their charter of demands includes immediate revision of pay-scale and time-bound promotions among other things. Giving examples of stagnation, Mr RK Savita, president of the organisation, local unit, said he joined the bank as a typist in 1964, and until now he is working on the same post. Likewise, Mr Shukla joined as a clerk in 1969 and has remained a clerk till date.

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
{एन. ओ. बी. डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध}

37/19-सी, माल रोड,
कानपुर-208001

परिपत्र संख्या 5/95 — दिनांक 20 मई, 1995

सूचना :- संगठनात्मक चुनाव सत्र 1995-96

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर के सत्र 1995-96 हेतु पदाधिकारियों एवम कार्यसमिति सदस्यों के चुनाव निम्न विवरण एवम कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होंगे।

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	अध्यक्ष	1
2.	उपाध्यक्ष	1
3.	महामंत्री	1
4.	मंत्री	1
5.	संगठन मंत्री	1
6.	कोषाध्यक्ष	1
7.	कार्यसमिति सदस्य	5

चुनाव कार्यक्रम

नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	=	3 जून 1995 अपरान्ह 1.15 बजे तक
नाम वापसी की अंतिम तिथि	=	6 जून 1995 अपरान्ह 5.00 बजे तक
चुनाव	=	10 जून {1.15 बजे से}

चुनाव अधिकारी 1- श्री के. एस. श्रीवास्तव
2- श्री जागेश्वर प्रसाद

{सुरेन्द्र नाथ शुक्ल}
महामंत्री

रिज़र्व बैंक इम्प्लाइज रिक्रियेशन क्लब कानपुर के चुनाव

चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया रद्द घोषित ।

प्रिय भाइयों एवं बहनों,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि क्लब के चुनाव दिनांक 19 मई 1995 को घोषित किए गए थे जिसके लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई थी । इस तिथि को नामांकन पत्र जमा करने के उपरान्त तमाम प्रत्याशी अन्तिम सूची की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक 2.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा रद्द घोषित कर दी गई है । उत्तेजित प्रत्याशियों द्वारा कारण पूछने पर चुनाव अधिकारी श्री डी.पी. त्रिवेदी ने सूचित किया कि चूंकि 13 चुनाव अधिकारियों में मात्र 5 ही उपस्थित थे अतः कोरम के अभाव में उन्होंने सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया रद्द घोषित कर दी है । तमाम प्रत्याशियों द्वारा उनके इस तर्क का विरोध किया गया फिर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला ।

मित्रों, श्री डी.पी. त्रिवेदी के कथन को यदि सही भी मान लिया जाय तो 5 चुनाव अधिकारी उपस्थित थे और 2 चुनाव अधिकारी उनको सूचित करके/अनुमति लेकर चले गये थे । इस प्रकार 13 चुनाव अधिकारियों में 7 की उपस्थित बहुमत की थी अतः चुनाव प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय अवैधानिक है । <u>वास्तविकता यह है कि 11 चुनाव अधिकारी हैं, न कि 13</u> ।

चुनाव प्रक्रिया रद्द क्यों ?

एसोसिएशन नियंत्रित टीम स्थानीय कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक पर काबिज है जिसके परिणाम क्रेडिट बैंक के सदस्य भुगत रहे हैं । एसोसिएशन नियंत्रित टीम सहकारी जलपान समिति पर काबिज है जिसने बिना गुणवत्ता सुधार 30 से 40 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि करके आम कर्मचारी की जेबें हल्की करने का कार्य किया है ।

उक्त दोनों स्थानों पर कर्मचारियों ने यह अनुभव किया कि एसोसिएशन नियंत्रित टीमें उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति न करके उनके साथ अन्याय कर रही है अतः क्लब के वर्तमान चुनाव में एसोसिएशन के विरोध का वातावरण बना तथा रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, रिज़र्व बैंक "डी" क्लास इम्प्लाईज़ यूनियन, रिजर्व बैंक एस.सी./एस.टी. वेलफेयर फेडरेशन तथा एसोसिएशन के कुछ सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिक संगठन से जुड़े तमाम कर्मचारियों आदि ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया और एक पैनल से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जिसकी जानकारी होने पर एसोसिएशन पदाधिकारी अपनी आसन्न पराजय से घबड़ा गए और इस मोर्चे को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जहां पर सफलता न मिलने पर उन्होंने अपने सक्रिय कार्यकर्ता एवम् चुनाव अधिकारी श्री डी.पी. त्रिवेदी के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया ही रद्द घोषित करा दी ।

साथियों, साजिशन चुनाव प्रक्रिया रद्द करने की घोषणा की हम निन्दा तथा भर्त्सना करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि यह कार्य अवैधानिक तथा असंवैधानिक है इसीलिए हमने क्लब के अध्यक्ष /बैंक के मुख्य महाप्रबंधक महोदय को एक पत्र देकर तुरन्त क्लब कार्यकारिणी भंग करने तथा चुनाव प्रक्रिया पुनर्जीवित करने की मांग की है । आप सभी से अपील है कि हर उपलब्ध अवसर तथा मंच पर आप सभी इस घृणित कार्य की निन्दा करें तथा चुनाव प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होने पर संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशियों को अपना सहयोग देकर विजयी बनावें । अपने स्वाभिमान की रक्षा आपको स्वयं करनी होगी ।

– आपके अपने साथी –

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
महामंत्री
रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाईजेशन, कानपुर

कुते चाफ सेक्रेटरी
रिज़र्व बैंक "डी" क्लास इम्प्लाईज़ यूनियन, कानपुर

(गौरी शंकर आजाद)
मंत्री
रिज़र्व बैंक एस.सी./एस.टी. इम्प्लाईज़ वेलफेयर फेडरेशन, कानपुर ।

दिनांक – 16 मई 1995

रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
{एन. ओ. बी. डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध}

परिपत्र सं. 3/95 दिनांक 25 अप्रैल, 1995

प्रिय भाइयों एवम बहनों,

वेतन वार्ता में देरी क्यों ?

आज दोपहर {भोजनावकाश} 1.15 बजे

विरोध प्रदर्शन एवम गेट मीटिंग

आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक दिनांक 14-15 अप्रैल 1995 को बंगलौर में सम्पन्न हुई जिसमें इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी कि रिजर्व बैंक कर्मियों के वेतन बढ़ोत्तरी एवं सेवा शर्तों में सुधार संबंधी मांगपत्र पर रिजर्व बैंक प्रबंधन ने एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है साथ ही साथ "एसोसिएशन" ने भी आज तक वार्ता में गतिरोध के बिन्दुओं को उजागर न करके अभी तक कर्मचारियों को अंधेरे में रखा है । बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत बैंक प्रबंधन ने अभी तक आर्गनाइजेशन के मांगपत्र पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है । जैसा कि आप जानते हैं कि बंबई उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा बैंक प्रबंधन को यह निर्देश दिया है कि वह आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र पर अनुकूल रुख अपनावें तथा उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें ।- अतः हमारे मांगपत्र पर बैंक प्रबंधन द्वारा विचार विमर्श न करने का सीधा अर्थ है प्रबंधन द्वारा न्यायालय की अवमानना करना । ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक कर्मी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि रिजर्व बैंक प्रबंधन की मंशा क्या है साथ ही साथ प्रबंधन तथा एसोसिएशन के मध्य कौन सी खिचड़ी पक रही है । आर्गनाइजेशन ने सम्पूर्ण घटनाचक्र का गंभीरता से अध्ययन किया है और यह तय किया है कि यह आवश्यक है कि अब बैंक प्रबंधन को यह चेतावनी दी जाए कि लम्बित मांगपत्र पर हमसे सार्थक वार्ता प्रारंभ न करना औद्योगिक वातावरण में प्रतिकूल असर डालना होगा अतः अखिल भारतीय स्तर पर आर्गनाइजेशन ने आज 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने का आव्हान किया है ।

हम आप सभी से विनम्र अपील करते हैं कि आज दोपहर 1.15 बजे बैंक के पूर्वी द्वार पर एकत्र होकर प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें । हमारा सौभाग्य है कि आज की गेट मीटिंग में देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ में अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री ओम प्रकाश अग्गी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा ।

संग्रामी बधाइयों सहित ।

कर्मचारी एकता – जिन्दाबाद ।
एन. ओ. बी. डब्लू. – जिन्दाबाद ।
भारतीय मजदूर संघ – जिन्दाबाद ।

आपका सहयोगाकांक्षी
[signature]
{सुरेन्द्र नाथ शुक्ल}
महामंत्री

मांगपत्र पर बात करो
मांगों को स्वीकार करो ।

रजिस्ट्रेशन संख्या ४१२४

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, लखनऊ

(संबद्ध एन० ओ० बी० डब्लू० एवम् बी० एम० एस०)

पत्राचार का पता :
, विराम खण्ड,
ोमतीनगर, लखनऊ
392075

12/608, इन्दिरानगर,
लखनऊ

सी-1280, इन्दिरानगर
लखनऊ

सूचनार्थ

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, लखनऊ की वार्षिक आम सभा दिनांक 10 अप्रैल 1995 को बैंक परिसर में सम्पन्न हुयी। इस सभा में श्री सुरेन्द्र नाथ शुक्ल, उप मुख्य सचिव, अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर से पधारे।

सभी सदस्यों की आम सहमति से वर्ष 1995-96 की अवधि हेतु नई कार्य कारणी में निम्नलिखित पदाधिकारी निर्विरोध चुने गये:-

1- अध्यक्ष	श्री राम शंकर गुप्ता
2- उपाध्यक्ष	श्री अशोक कुमार गुप्ता
3- सचिव	श्री फणीन्द्र नाथ चतुर्वेदी
4- सहायक सचिव	श्री उमेश कुमार पाण्डेय
5- कोषाध्यक्ष	श्री सुन्दर लाल
6- कार्यकारणी सदस्य:-	
(i) सामान्य अनुभाग:	1- श्री योगेन्द्र पाल सिंह
	2- श्री गुलाब चन्द
	3- श्री राम दास चौधरी
(ii) नकदी अनुभाग:	1- श्री अंजुम हुसैनी
	2- श्री रमा शंकर
	3- श्री अशोक सक्सैना

(फणीन्द्र नाथ चतुर्वेदी)
सचिव.

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, लखनऊ
(सम्बद्ध - भारतीय मजदूर संघ एवं नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स)

परिपत्र संख्या 1/1995-96 दिनांक 25 अप्रैल 1995

बंधुओं,

मांग-पत्र पर समझौता वार्ता- आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की भागीदारी

जैसाकि आप सभी को विदित है कि आल इंडिया रिज़र्व बैंक इम्पलाईज़ एशोसियशन और रिज़र्व बैंक मैनेजमेन्ट के बीच मांग पत्र पर [illegible] वार्ता में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परन्तु स्पष्ट स्थिति से साधारण सदस्यों को अवगत नहीं कराया जा रहा है। संगठन पत्रों के माध्यम से जो सूचना दी जा रही है वह भ्रामक है। आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने पिछले मांग पत्रों में समझौतों के बाद ट्रिब्यूनल के माध्यम से समय समय पर कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ दिलवाये हैं और हमारा यह प्रयास रहता है कि पिछले मांग पत्रों पर[illegible] समय के अनुसार चलते हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। साम्यवादी नीतियों के तहत एशोसियेशन के आकाओं ने कभी भी रिज़र्व बैंक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया। जिसका परिणाम आपके सामने है कि [illegible] परीक्षा में बैठने के लिए कर्मचारियों को लगभग 30 वर्ष की सेवा के पश्चात अवसर मिलता है और परीक्षा पास [illegible] करने के बाद भी कई वर्षों तक पदोन्नति नहीं मिल पाती है।

ए॰आई॰आर॰बी॰डब्लू॰ओ॰ इस ओर बराबर प्रयासरत है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति मिलनी चाहिए। जिससे कर्मचारी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।

आइये हम सब रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के हाथों को मजबूत बनायें जिससे हम सब के भविष्य और बेहतर वेतन का लाभ हमें मिल सके। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 16 सितम्बर 1994 को बम्बई उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया था कि ए॰आई॰आर॰बी॰डब्लू॰ओ॰ के मांग पत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक प्रबन्धन विचार करें। जिसके अन्तर्गत हमने अपना मांग पत्र दे दिया है। परन्तु अभी तक प्रबंधन ने इस ओर कोई धनात्मक संकेत नहीं दिया है। इस विषय को लेकर दिनांक 25 अप्रैल 1995 को [illegible] के साथ हम प्रभारी अधिकारी के [illegible] के सम्मुख प्रदर्शन करेंगे। और प्रबंधन से मांग करेंगे कि वह न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न करते हुए हमारी [illegible] मांगों पर विचार करें और हमसे मांग पत्र पर वार्ता प्रारम्भ करें। इस पुनीत कार्य में हम सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वह हमें सहयोग दें। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिये सदैव संघर्षरत रहेंगे।

आपका शुभाकांक्षी
[illegible]
धर्मेन्द्रनाथ चतुर्वेदी
महामन्त्री

एआईआरबीडब्लूओ- जिन्दाबाद
एनओबीडब्लू - जिन्दाबाद
बीएमएस- - जिन्दाबाद
एमरबी से मांग पत्र पर वार्ता- शुरू करो
शुरू करो
लाल गुलामी छोड़कर- बोलो वंदेमातरम॰

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, [illegible]

(सम्बद्ध- भारतीय मजदूर संघ एवं नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स)

परिपत्र संख्या 2/1995-96 दिनांक: 9 मई 1995

प्रिय बन्धुओ,

वेतन वार्ता- देरी क्यों? भोजनावकाश में विरोध प्रदर्शन

आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक दिनांक 14-15 अप्रैल 1995 को बंगलोर में सम्पन्न हुयी। इस बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी एवं सेवा शर्तों में सुधार सम्बन्धी मांग पत्र पर रिज़र्व बैंक प्रबन्धन की रहस्यमई चुप्पी तथा साथ ही "एसोसियेशन" द्वारा इस नाजुक मसले को टाप सीक्रेट ढंग से हल करने की प्रवृत्ति की तीव्र भर्त्सना की गयी। एसोसियेशन ने अपने पिछले परिपत्र में भी वार्ता में आये गतिरोध को न तो पूर्णतः उजागर किया है और न ही उन्होंने बैंक प्रबन्धन के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी कर्मचारियों को दी है।

बम्बई उच्च न्यायालय के 16 सितम्बर 1994 के ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात यह अपेक्षा थी कि बैंक प्रबन्धन आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के मांग पत्र पर अनुकूल रुख अपनायेगा तथा उसे सकारात्मक वार्ता हेतु आमंत्रित करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय को कूड़ेदान में डाल कर बैंक प्रबन्धन एसोसियेशन के साथ टाप सीक्रेट ढंग से क्या खिचड़ी पका रहा है, रिज़र्व बैंक कर्मी समझने में असमर्थ है।

साथियों हमारे कामरेड साथी जो पिछले बैंक समझौते में "बोनी" की भागीदारी न होने को एक अहम मुद्दा बनाये हुये थे तथा उसके लिये संघर्षरत थे, आज दूसरी ही भाषा बोल रहे हैं। क्या कामर्शियल बैंकों के समझौते में उनकी भागीदारी बैंक कर्मियों के हितों के लिये आवश्यक थी और वहीं दूसरी ओर रिज़र्व बैंक में आर्गनाइजेशन की भागीदारी रिज़र्व बैंक कर्मियों के लिये अनावश्यक? यह हमारे कामरेड साथियों की विचारधारा की संकीर्णता नहीं तो क्या है। यदि उन्हें वास्तव में रिज़र्व बैंक कर्मियों की चिंता है और वह अपने साथियों को बेहतर वेतन लाभ एवं सेवा शर्तों में सुधार के पक्षधर हैं तो उन्हें यह संकीर्णता छोड़नी ही होगी। आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने सदैव ही रिज़र्व बैंक कर्मियों की तर्कसंगत मांगों के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया है और उन्हें प्राप्त करने में सफलता भी पाई है। आज जब बैंकिंग उद्योग में समझौते के उपरान्त कुछ बैंक अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन लाभ तथा पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के लिये अलग से समझौते कर रहे हैं, रिज़र्व बैंक प्रबन्धन अपनी पुरानी लकीर ही पीट रहा है। अतः समय बैंक प्रबन्धन पर उचित दबाव डालने की आवश्यकता है जो केवल संगठित प्रयास से ही सम्भव है। यदि इस समय हमने उचित प्रयास न किये तो बैंकिंग उद्योग में हमारी स्थिति कहाँ पर होगी यह भविष्य ही बतायेगा तथा रिज़र्व बैंक कर्मियों के इस नुकसान का उत्तरदायित्व तथाकथित मान्यता प्राप्त "एसोसियेशन" पर होगा।

साथियों आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने सम्पूर्ण घटनाक्रम का गम्भीरता से अध्ययन किया है। इसके पश्चात ही यह निर्णय लिया गया है कि बैंक प्रबन्धन को यह चेतावनी दी जाये कि आर्गनाइजेशन के लम्बित मांग पत्र पर सकारात्मक रुख अपनाये। बैंक प्रबन्धन द्वारा आर्गनाइजेशन को वार्ता हेतु आमंत्रित न करना न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवमानना है।

कृपया पन्ना पलटिये---2

इसी परिप्रेक्ष में आज दिनांक 9 मई 1995 को भोजनावकाश के दौरान हम प्रभारी अधिकारी के कक्ष के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सदैव से ही रिज़र्व बैंक कर्मियों के उज्जवल भविष्य के प्रति जागरुक रहे हैं और आज भी आपके सक्रिय सहयोग से आपका भविष्य उज्जवल बनाने में सहयोग का आश्वासन देते हैं।

आपका जुझारु साथी

(हस्ताक्षर)

(फणीन्द्रनाथ चतुर्वेदी)

महामन्त्री।

एआईआरबीडब्लूओ- जिन्दाबाद

एनओबीडब्लू - जिन्दाबाद

बीएमएस- - जिन्दाबाद

एयरबो से माँग पत्र पर वार्ता- शुरु करो
शुरु करो

लाल गुलामी छोड़कर- बोलो वंदेमातरम।

माँग पत्र पर बात करो, माँगो को स्वीकार करो।

बैंक कर्मियों का धरना

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के वार्ता के अधिकार को बहाल किया जाये

(प्रतिनिधि)

कानपुर, शुक्रवार। उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों में कार्यरत बैंक कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष धरना एक दिवसीय धरना देकर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। बाद में हुई सभा में मांग की गयी कि एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के वार्ता करने के अधिकार को बहाल किया जाये। यू.पी. बैंक इम्प्लाइज यूनियन ने आगामी दो दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिये हालसी [illegible] यूको बैंक के समक्ष नारेबाजी व प्रदर्शन [illegible]।

भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के आह्वान पर उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के झंडे तले आज दिन भर धरना देकर कर्मचारी लगातार सरकार, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक की

रिजर्व बैंक गेट पर कर्मचारियों का धरना। फोटो-जागरण

कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध में नारे लगाते रहे तथा कम्प्यूटरीकरण नीति को कोसने के साथ-साथ भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग करते रहे।

सभा में रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के महामंत्री सुरेन्द्र नाथ शुक्ला ने भारतीय रिजर्व बैंक प्रबन्धन की भर्त्सना करते हुये कहा कि सरकार द्वारा आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को मान्यता देने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश के खिलाफ बैंक ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपील करके न्यायपालिका की भावनाओं का अनादर किया। बंबई उच्च न्यायालय ने भी जब स्पष्ट आदेश दिये कि रिजर्व बैंक प्रबन्धन को आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर वार्ता करनी चाहिये फिर भी बैंक प्रबन्धन ने इसकी उपेक्षा की तथा अपनी पसंद की यूनियन से समझौता कर लिया है। श्री शुक्ला ने घोषित किया कि रिजर्व बैंक प्रबन्धन पर बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दाखिल किया जा रहा है।

भारतीय मजदूर संघ के नगर मंत्री अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि एन.ओ.बी.डब्ल्यू. को द्विपक्षीय वार्ता के अधिकार से मात्र इसलिये वंचित करना कि वह कम्प्यूटरीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, राष्ट्रवादी बैंक कर्मचारियों के मुंह में ताला लगाना है। जिसे देश हित में नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने मांग की कि एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के वार्ता करने के अधिकार को बहाल किया जाए। भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए तथा अन्धाधुंध कम्प्यूटरीकरण राष्ट्रहित में नहीं है जिसे समाप्त किया जाए।

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के कार्यवाहक महामंत्री बी.के. शर्मा ने मांग की कि रिजर्व बैंक सहित सभी बैंक कर्मियों को बोनस दिया जाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किये गये एवार्ड के अनुसार तथा छठें समझौते के समस्त लाभों को तत्काल लागू किया जाए। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति १२७ प्रतिशत की दर से की जाए। सभा को आनन्द स्वरूप शर्मा, आर.के. सविता, कालिका प्रसाद, पूरनचन्द्र वर्मा, एम.पी. आनन्द [illegible], विशुन लाल, इन्द्र नारायण आदि ने संबोधित किया तथा अध्यक्षता गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी ने की।

सभा के उपरान्त गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक को संबोधित एक ज्ञापन भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक रमाशंकर अवस्थी को दिया गया जिसके द्वारा ज्ञापन में लिखी गई मांगें मानने की अपील की गयी है।

हड़ताल में शामिल नहीं

सभा में ही उ.प्र. बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के प्रादेशिक मंत्री बी.के. शर्मा ने घोषित किया कि आगामी २६, २७ सितम्बर की बैंक हड़ताल में एन.ओ.बी.डब्ल्यू. शामिल नहीं है।

दैनिक जागरण, कानपुर, २३ सितम्बर

THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW,

NOBW not to participate in bank stir

The Times of India News Service

KANPUR, September 22: Members of the National Organisation of Bank Workers (NOBW) affiliated to the Bharatiya Mazdoor Sangh will not participate in the proposed country-wide strike of bank employees on Sept 26 and 27.

राष्ट्रीय

सहारा

लखनऊ, शनिवार 23 सितम्बर 1995

मांगों को लेकर रिजर्व बैंक गेट पर कर्मियों का धरना

सहारा समाचार

कानपुर, 22 सितम्बर। भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के आह्वान पर उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के झंडे तले आज रिजर्व बैंक गेट पर शहर के सैकड़ों बैंक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया तथा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। इस अवसर पर उ.प्र. बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के प्रादेशिक मंत्री बी.के. शर्मा ने घोषणा की कि 26 व 27 सितम्बर को बैंक कर्मियों की होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में एन.ओ.बी.डब्ल्यू. शामिल नहीं होगी।

सभा के उपरान्त रिजर्व बैंक के गवर्नर को सम्बोधित एक ज्ञापन भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर के मुख्य महाप्रबन्धक रमाशंकर अवस्थी को दिया जिसमें लिखी मांगें मान लेने की अपील की गयी।

धरने में प्रमुख रूप से आनन्द स्वरूप शर्मा, आर.के. सविता, पी.एन. वाजपेयी, नवल पाण्डेय, एन.के. मेहरोत्रा, के.के. श्रीवास्तव व कालिका प्रसाद ने सम्बोधित किया।

बैंककर्मियों ने विरोध दिवस मनाया

रिजर्व बैंक पर धरना, सरकार विरोधी नारे लगे

कार्यालय संवाददाता

कानपुर, २२ सितम्बर। एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के आह्वान पर उ.प्र. बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने अपनी सात सूत्रीय मांग को लेकर रिजर्व बैंक गेट पर 'धरना' देकर राष्ट्र व्यापी विरोध दिवस मनाया। कर्मचारी दिन भर केन्द्र सरकार, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध में नारे लगाते रहे। सभी ने कम्प्यूटरीकरण नीति को कोसने के साथ-साथ भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग की।

धरने में फैसला किया गया कि २६ व २७ सितम्बर को एन.ओ.बी.डब्ल्यू. प्रस्तावित हड़ताल में शामिल नहीं होगा।

सभा को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के महामंत्री सुरेंद्र नाथ शुक्ला ने भारतीय रिजर्व बैंक प्रबंधतंत्र की निंदा की कहा कि सरकारी एवार्ड द्वारा आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को मान्यता देने सम्बंधी स्पष्ट आदेश के खिलाफ बैंक ने बंबई उच्च न्यायालय में अपील करके न्याय पालिका की भावनाओं का अनादर किया है।

बी.एम.एस. के नगर मंत्री अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि आई.बी.ए. सिर्फ इसलिए एन.ओ.बी. डब्लू. को द्विपक्षीय वार्ता के अधिकार से वंचित कर रहा है क्योंकि वह कम्प्यूटरीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। प्रदेश महामंत्री बी.के. शर्मा ने मांग की कि रिजर्व बैंक सहित सभी बैंककर्मियों को बोनस दिया जाए, छठे वेतन समझौते को लागू किया जाए और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति १२७ फीसदी की दर से की जाए।

विभिन्न मांगों को लेकर रिजर्व बैंक गेट पर धरना देते बैंक कर्मचारी : स्वतंत्र भारत

मांगों को लेकर एन.ओ.बी. डब्ल्यू. ने रिजर्व बैंक पर धरना दिया

(कार्यालय संवाददाता)

कानपुर, २२ सितम्बर। इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन तथा रिजर्व बैंक प्रबन्धन द्वारा नेशनल बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को वार्ता में शामिल करने से इनकार करने पर आर्गनाइजेशन से जुड़े बैंककर्मियों ने आज रिजर्व बैंक पर धरना दिया तथा प्रबन्धन के खिलाफ नारे लगाये।

भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध आर्गनाइजेशन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजित विरोध दिवस के अन्तर्गत आयोजित धरने को सम्बोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने बैंक की कम्प्यूटरीकरण की नीति का विरोध किया। रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के महामंत्री सुरेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि सरकारी एवार्ड द्वारा आल इण्डिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को मान्यता देने सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश के खिलाफ बैंक ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपील करके न्यायपालिका की भावनाओं का अनादर किया है। इसके बाद जब बम्बई उच्च न्यायालय ने भी रिजर्व बैंक प्रबन्धन को आर्गनाइजेशन के मांग पत्र पर वार्ता करने को कहा, तब भी बैंक प्रबन्धन ने इसकी उपेक्षा की तथा अपनी पसन्द की यूनियन से समझौता कर लिया। श्री शुक्ला ने बताया कि आर्गनाइजेशन रिजर्व बैंक प्रबन्धन पर बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर करने जा रहा है।

धरनास्थल पर सभा को सम्बोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के नगर मंत्री तथा बैंक कर्मचारी नेता अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि भारतीय बैंक संघ ने एन.ओ.बी.डब्लू. को द्विपक्षीय वार्ता के अधिकार से मात्र इसलिए वंचित कर दिया कि वह कम्प्यूटरीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि संघ का यह निर्णय राष्ट्रवादी बैंक कर्मचारियों के मुंह पर ताला लगाने के समान है, जो देशहित में नहीं है। उन्होंने एन.ओ.बी.डब्लू. को वार्ता करने का अधिकार बहाल करने, भर्ती पर लगी रोक हटाने तथा अन्धाधुंध कम्प्यूटरीकरण समाप्त करने की मांग की।

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के कार्यवाहक महामंत्री बी.के. शर्मा ने रिजर्व बैंक सहित सभी बैंककर्मियों को बोनस देने, क्षेत्रीय व ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के एवार्ड के अनुसार तथा छठे समझौते के समस्त लाभों को तत्काल लागू करने की मांग की गयी।

सभा को आनन्द स्वरूप शर्मा, के.के. श्रीवास्तव, कालिका प्रसाद, मनोज त्रिपाठी, प्रहलाद सिंह, माता प्रसाद, गणेश श्रीवास्तव, इन्द्र नारायण आदि ने सम्बोधित किया। अध्यक्षता गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी ने की। सभा के उपरान्त आन्दोलनकारियों ने गवर्नर रिजर्व बैंक को सम्बोधित एक ज्ञापन रिजर्व बैंक, कानपुर के मुख्य महाप्रबन्धक रमाशंकर अवस्थी को दिया। [illegible]

अमर उजाला कानपुर, २३ सितम्बर सन् १९९५

रिजर्व बैंक परिसर के बाहर शुक्रवार को धरना देते बैंक कर्मचारी

फोटो: अमर उजाला

राष्ट्र हित   उद्योग हित   श्रमिक हित

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन

पंजीयन सं० २८२६

(सम्बद्ध :-एन० ओ० बी० डब्ल्यू० एवं भारतीय मजदूर संघ)

केन्द्रीय कार्यालय :-२४, लक्ष्मी मार्केट, बेलनगंज, आगरा-२८२००४

पत्रांक..................   दिनांक 21-5-95

प्रिय श्री ओमकार जी,

सप्रेम जयश्रीराम।

जैसी कि आपको पूर्व सूचना थी, दिल्ली के अतिरिक्त कार्यक्रम के कारण मैं पटना नहीं आ सका। मैं पटना के सभी बन्धुओं से क्षमा मांगता हूं। दिल्ली की प्रगति ~~तक~~ की जानकारी मैं निकट आने पर दूंगा। फिलहाल मा. कल्याण सिंह जी से 23/5/95 को प्रातः मिलने की प्रबल संभावना है।

श्री एस. डी. चतुर्वेदी जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं जिनके विषय में हमारी [illegible] से चर्चा की थी। आपका सहयोग तथा स्थानीय सहयोग, श्री चतुर्वेदी जी को मिले ऐसी आशा है।

श्री श्रीकान्त सिंह जी के स्वास्थ्य की जानकारी आवश्यक है। श्री विनोद जी पाठक जी व्यवस्थापक जी सहित सभी मित्रों को अभिवादन।

आपका अपना ही,

[illegible signature]

ALL INDIA RESERVE BANK WORKERS' ORGANISATION

CENTRAL OFFICE – NAGPUR

(AFFILIATED TO BHARATIYA MAZDOOR SANGH & NATIONAL ORGANISATION OF BANK WORKERS)

Mrs. N. M. Deo
Bombay

...ent : SHRI P. S. PUTTURAYA
...ecy. : SHRI A. N. MOHARIR

Correspondence Address :
A. N. MOHARIR
122, Jaiprakash Nagar,
Khamla, NAGPUR-440 025

No. ....

Date 4th April 1995

To,

All C.E.C. Members

Dear brother,

I am looking forward to meet all of you at our CEC meeting at Bangalore. I would appreciate very much if you could bring particulars regarding number of lady members at your centre as also their names and addresses etc for my information and record. Please also let me know if they have any problem/s which we, as Organisation, can solve for them.

2. I have received a letter from our Kanpur Unit (Copy enclosed) regarding Maternity leave & Concessions thereafter. I would like to have your views in the C.E.C.

3. Recently there there was a L.F.C. case in Bombay where both husband and wife are working in the Bank. They are having strained relations. As per our L.F.C. Rules, only husband claim the fares. The Lady member was denied the L.F.C. for her Children just because her husband happened to be in the Bank. She had to represent & finally she was allowed to claim L.F.C. for her Children. We have started signature campaign asking the Bank to amend the L.F.C. Rules suitably. I would like

to have your views in this matter.
Give my Regards to all Unit members.
Thanking you,

Your's Sisterly

N.M.Deo

(Smt. N. M. Deo)

Incharge, Ladies wing.

(सम्बद्ध-एन. ओ. बी. डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ)

37/16, सी० माल रोड
(रिजर्व बैंक के सामने)
कानपुर

पत्रांक ....

दिनांक 14.3.95

आदरणीया देव बहन जी,

जय श्रीराम।

आशा है कि आप सपरिवार कुशल से होंगी। कानपुर की एक बहन ने जानकारी यह बताई है कि रिज़र्व बैंक में मातृत्व अवकाश (Maternity leave) मात्र 1 वर्ष का मिलता है। बच्चा होने के उपरान्त महिला कर्मी को तुरन्त join करना होता है। बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता (Feeding baby) को ध्यान में रखते हुए Maternity leave के बाद कार्यालय आने पर एक माह तक कर्मचारी को सुविधा-जनक duty मिलनी चाहिए। उदाहरणार्थ प्रथम सप्ताह No work, द्वितीय सप्ताह 1/2 दिवस कार्य, तृतीय सप्ताह 2 घंटे जल्दी छुट्टी तथा चतुर्थ सप्ताह 1 घंटे जल्दी छुट्टी आदि रखी जा सकती है।

आप इस समस्या को समझ कर एक मांगपत्र बना दें ताकि AIRBWF CEC में रखा जा सके अथवा आप सीधे बैंक प्रबन्धन को लिखें।

सम्मान सहित।

आपका भाई,

[signature]

महामंत्री